# प्रथम सूचना रिपोर्ट

( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st, Alwar** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं.....399/2022 दिनांक .....11/10/2022

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा ..... **7,**
(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा.....
(3) अधिनियम..... धारायें.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....169.....समय.....6:30 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिनः सोमवार दिनांक 10/10/2022, समय 02.23 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – शुक्रवार दिनांक 30/09/2022, समय 1.50.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः पश्चिम, दूरी करीब 65 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर सें
(ब) पताः– ग्राम बासडा, तहसील बानसूर जिला अलवर मे खेत पर स्थित सुरेश गुर्जर का मकान
बीट संख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री महेन्द्र कुमार (ब) पिता का नाम :– श्री लटूर मल गुर्जर
(स) जन्म तिथि :– उम्र 25 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य)पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह
(र)व्यवसायः–
(ल)पताः– निवासी बबेडी, तहसील बानसूर जिला अलवर

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
**श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जयराम जाति गुर्जर, उम्र 43 साल निवासी ग्राम पूतली, थाना–कोटपूतली, जिला जयपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत बाबरिया, तहसील बानसूर जिला अलवर (राज.)**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....
9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–
10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 11,000/–रूपयें ट्रेप राशि
11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो ).....
12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 30–09–2022 को समय 1.50 पी.एम. पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर मन् पुलिस निरीक्षक, प्रेम चन्द के सम्मुख उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए0सी0बी0 अलवर विषय– रिश्वतखोर I LR बाबरियाश्री अशोक कुमार को रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु महोदय निवेदन है कि मैं गॉव बबेडी त0 बानसूर जिला अलवर का रहने वाला हुँ मेरे पिताजी श्री लटूरमल गुर्जर का वर्ष 2018 में स्वर्गवास हो गया था। मेरे पिताजी ने आन्ध्रा बैंक बहरोड हाल विलय युनियन बैक बहरोड से अपनी खातेदारी भूमि पर KCC का लोन उठा रखा था। जिसको मैंने उक्त बैंक में जमा करवाकर उक्त बैंक से नोडयूज प्रमाण पत्र प्राप्त किया और हमारी खातेदारी भूमि को उक्त बैंक से रहनफक करने हेतु हमारे हल्का पटवारी को दिया था, जिसने उक्त का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर जॉच हेतु I L R बाबरिया, तह0 बानसूर को प्रेषित कर दिया। लगभग 10–12 दिन का समय गुजरने के बाद मैं हमारे I L R श्री अशोक कुमार से मिला और हमारे रहनफक को स्वीकार करने हेतु तहसीलदार बानसूर को भिजवाने हेतु के लिए कहा और उसको बताया कि इसके बाद हमारे पिताजी का विरासत का इन्तकाल खुलेगा और बहिनों से मेरे नाम से हक त्याग होगा, तो श्री अशोक कुमार I L R, बाबरिया ने मेरे से कहा कि पटवारी से सभी काम मेरे पास ही आते है और मैं ही तहसीलदार को भिजवाता हुँ, तब जाकर ही तहसीलदार स्वीकार करता है। आपको अपने उक्त कार्य करवाने हेतु मुझे 12000 रू0 खर्चा–पानी के देनें होगें नही तो मैं बिना खर्चा–पानी दिये आपके काम नही करूंगा और आप चक्कर ही लगाते रहना। मैं श्री अशोक कुमार गुर्जर, I L R, बाबरिया, तह0 बानसूर, जिला अलवर को मेरे जायज काम की एवज में रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसे आपके विभाग से रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे। धन्यवाद दिनांक 30.9. 2022 हस्ता/–महेन्द्र कुमार प्रार्थी महेन्द्र कुमार S%0 लटुरमल नि.–बबेडी तह. बानसुर अलवर (राज.) Mob - 7727985727 " परिवादी श्री महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि " मेरे पिताजी श्री लटूरमल पुत्र श्री गणपत लाल गुर्जर का वर्ष 2018 में स्वर्गवास हो गया है। मेरे पिताजी लटूरमल ने आन्ध्रा बैंक

बहरोड हाल विलय यूनियन बैक बहरोड से ग्राम बबेडी में स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर के0सी0सी0 का ऋण (लोन) उठा रखा था। जिसको मैंने उक्त बैंक में जमा करवाकर उक्त बैंक से नो–डयूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर हमारी खातेदारी भूमि को उक्त बैंक से रहनफक (रहनमुक्त) करने हेतु हमारे हल्का पटवारी बबेडी को दिया था, जिसने उक्त का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में ऑन–लाईन दर्ज कर जॉच हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त बाबरिया, तहसील बानसूर को अग्रेषित कर दिया। लगभग 10–12 दिन का समय गुजरने के बाद मैं हमारे भू–अभिलेख निरीक्षक श्री अशोक कुमार से मिला और हमारी जमीन के रहनफक के नामान्तकरण को स्वीकार हेतु तहसीलदार बानसूर को भिजवाने के लिये कहा और उसको बताया कि इसके बाद हमारे पिताजी का विरासत का इन्तकाल (नामान्तकरण) खुलेगा और मेरी बहिनों से मेरे नाम हक त्याग होगा, तो श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया ने मेरे से कहा कि हल्का पटवारी बबेडी से सभी काम मेरे पास ही आते है और मैं ही तहसीलदार बानसूर को स्वीकार हेतु अग्रेषित करता हूँ, तब जाकर ही तहसीलदार स्वीकार करता है। आपको अपने उक्त तीनों कार्य करवाने है तो मुझे 12000 रूपये मेरे खर्चा– पानी के देनें होगें नही तो मैं बिना खर्चा–पानी दिये आपका काम नही करूंगा और आप चक्कर ही लगाते रहना। मैं श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर को मेरे जायज काम की एवज में रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ।" परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी श्री महेन्द्र कुमार द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाता है। परिवादी को रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु बताया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर रिश्वती मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि अभी वह श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर के पास रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करने के लिये जायेगा, तो उसे वह बाबरिया व तहसील कार्यालय बानसूर में नही मिल पायेगा, क्योंकि वह कोटपूतली का रहने वाला है और वह अपने ऑफिस में कभी–कभी आता है और जल्दी ही अपने घर चला जाता है। इसलिए उसे आज श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया अपने कार्यालय/ तहसील कार्यालय में नही मिलेगा तथा अगले दिवसों में दिनांक 01.10.2022 से 05.10.2022 तक शनिवार, रविवार, दुर्गा अष्टमी, नवमी व दशहरा का अवकाश होने से उक्त भू–अभिलेख निरीक्षक का कार्यालय /तहसील कार्यालय बन्द रहेगा। जब भी अगले कार्यदिवसों में वह श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता करने के लिये उसके कार्यालय/तहसील कार्यालय बानसूर पर जायेगा, तब वह फोन कर बता देगा कि उसे बानसूर में लाकर कोई ए0सी0बी0 का आदमी डिजिटल वाईस रिकार्डर दे दे, उस समय वह श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया से बात करके रिश्वत मांग का सत्यापन करवा देगा। जिस पर श्री महेश कुमार कानि0 462 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार से परिचय करवाया जाकर उक्त दोनों के आपस में मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तथा परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को हिदायत दी गई कि वह जब भी श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया के पास रिश्वत मांग सत्यापन के लिये जाये, तो उसकी सूचना से मन पुलिस निरीक्षक या उक्त कानि0 को अवगत करावे, ताकि रिश्वत मांग सत्यापन हेतु उसे बाबरिया/बानसूर में डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया जा सकें। तत्पश्चात परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को गोपनीयता की हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया।

दिनांक 07.10.2022 को समय 03.10 पी.एम. पर श्री महेश कुमार कानि0 462 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि उसकी परिवादी श्री महेन्द्र कुमार से वार्ता हुई है और वह आज श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता करने हेतु उसके पास तहसील कार्यालय बानसूर में जाने के लिये बताया है और उसने मुझे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कस्बा बानसूर, जिला अलवर बुलाया है। इस पर पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से ब्यूरों का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर, उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि वह परिवादी श्री महेन्द्र कुमार से सम्पर्क कर उसे बताये गये स्थान पर जाकर परिवादी से मिले तथा रिश्वत मांग सत्यापन करवाकर परिवादी को हमराह लेकर ब्यूरों कार्यालय उपस्थित आवे। श्री महेश कुमार कानि0 462 को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के वास्ते मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना किया गया।

दिनांक 07.10.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु गया हुआ श्री महेश कुमार कानि0 462 समय 9.30 पी.एम. पर ब्यूरों कार्यालय, अलवर उपस्थित होकर डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मय विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर के ब्यूरों कार्यालय अलवर से रवाना होकर समय करीब 05.00 पी0एम0 पर कस्बा बानसूर पहुंचा, जहॉ पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार मौजूद मिला तथा इसके बाद समय करीब 05.15 पी0एम0 पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल नं0 7727985727 से संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर के मोबाईल नं0 9314495557 पर अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक ने परिवादी को बानसूर स्थित हरसौरा चौक पर बुलाया और वहा पर मिलने के लिये कहा। उक्त मोबाईल वार्ता को मेरे द्वारा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात मैं व परिवादी श्री महेन्द्र कुमार कस्बा बानसूर से रवाना होकर बानसूर स्थित हरसौरा चौक के पास पहुंचे, जहॉ पर मैने, परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया एवं परिवादी महेन्द्र कुमार को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर के पास हरसोरा चौक बानसूर पर परिवादी की मोटर साईकिल से भिजवाया गया। परिवादी महेन्द्र कुमार बानसूर स्थित हरसौरा चौक पर होण्डा शोरूम के पास पहुंचा और वहॉ पर खडा हो गया कुछ समय बाद परिवादी महेन्द्र कुमार के पास एक जवान व्यक्ति, जिसके सीर पर बाल नही थे, मोटर साईकिल से आया और चारों तरफ देखकर परिवादी को होण्डा शोरूम के सामने से हरसौरा की तरफ जाने वाली रोड पर स्थित गुर्जर छात्रावास के पास लेकर गया और वहा पर परिवादी उस व्यक्ति से वार्तालाप करने लग गया तथा मैं भी, परिवादी व उक्त व्यक्ति से कुछ दूरी पर अपनी उपस्थित छुपाते हुये खडा हो गया। समय करीब 50 मिनट बाद परिवादी महेन्द्र कुमार उक्त व्यक्ति से वार्ता कर मेरे पास आया और परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मुझे दे दिया जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तत्पश्चात परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपसे डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर अपने साथ लेकर श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक बाबरिया, तहसील बानसूर के पास उसके बताये हुऐ स्थान हरसौरा चौक बानसूर पर स्थित होण्डा शोरूम के पास पहुंचा, जहां पर मैं, श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक को फोन कर हरसौरा चौक पर खडे होने के बारे में बताया। तत्पश्चात मेरे पास श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक का फोन आया और उसने मेरे से हरसौरा चौक पर श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक अपनी मोटर साईकिल से मेरे पास आया और वहॉ पर चौकन्ना होकर चारों तरफ नजर घुमाकर मुझे अपने साथ हरसौरा रोड पर स्थित गुर्जर छात्रावास के पास लेकर गया। जिससे मैंने हमारे पिताजी के नाम की खातेदारी जमीन को बैंक से रहनफक करने, हमारा विरासत का इन्तकाल खुलवाने एवं मेरे बहिनों से मेरे पक्ष में हक त्याग करवाने के लिये वार्ता की तो श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक बाबरिया ने मेरे उक्त तीनों काम करने की एवज में मेरे से 12 हजार रू0 रिश्वत की मांग की तथा मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करवाने पर वह मेरे से 11 हजार रू0 रिश्वत के लेने हेतु सहमत हो गया। मेरी, श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक से हुई सभी वार्तालाप को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। मैं हरसौरा चौक पर होण्डा शोरूम से आगे गुर्जर छात्रावास के पास जिस व्यक्ति के साथ खडा होकर बात कर रहा था, वही व्यक्ति श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर है। इसके बाद परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने मुझे बताया की उसके पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नही है और उसको बानसूर/अपने गॉव ही रूककर रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है। इसलिये आज वो अलवर नही चल सकता है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु वो रिश्वत राशि 11 हजार रू0 की व्यवस्था होने पर दिनांक 10.10.2022 सोमवार को सुबह करीब 10 बजे तक ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जायेगा और वो वही पर रूक गया। तत्पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 द्वारा प्रस्तुत रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा चालू कर सुना गया। जिसमें संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी महेन्द्र कुमार से उसके पिताजी की जमीन को रहनफक करने, परिवादी का विरासत इन्तकाल खुलवाने एवं परिवादी की बहिनों से परिवादी के पक्ष में हक त्याग करवाने के सम्बन्ध में वार्ताऐं करना तथा परिवादी के उक्त तीनों कार्य करने की एवज में परिवादी से 11 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना पाया गया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट व सीडी तैयार करने की कार्यवाही परिवादी के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में पृथक से की जावेगी। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय की आलमारी के लॉक में रखा गया।

दिनांक 10.10.2022 को समय 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार, ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 07.10.2022 को समय करीब 05.00 पी0एम0 पर मैं आपके कार्यालय के कर्मचारी श्री महेश कुमार को कस्बा बानसूर में मौजूद मिला। इसके बाद समय करीब 05.15 पी0एम0 पर मैंने अपने मोबाईल नं0 7727985727 से संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर के मोबाईल नं0 9314495557 पर अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता की तो श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक ने मेरे को

बानसूर स्थित हरसौरा चौक पर बुलाया और वहा पर मिलने के लिये कहा। उक्त मोबाईल वार्ता को श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा ए0सी0बी0 के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। इसके बाद मैं व श्री महेश कुमार कानि0 कस्बा बानसूर से रवाना होकर बानसूर स्थित हरसौरा चौक के पास पहुंचे, जहॉ पर श्री महेश कुमार कानि0 ने मेरे को अपने पास से ए0सी0बी0 का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द किया जिसे मैं अपने साथ लेकर संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक बाबरिया, तहसील बानसूर के पास, उसके बताये हुऐ स्थान हरसौरा चौक बानसूर पर स्थित होण्डा शोरूम के पास पहुंचा, जहां पर मैं, श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक को फोन कर हरसौरा चौक पर खडे होने के बारे में बताया तथा तत्पश्चात मेरे पास संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक का फोन आया और उसने मेरे से हरसौरा चौक पर मेरे खडे होने के स्थान के बारे में पूछा तो मैंने उनको मेरे खडे होने का स्थान होण्डा शोरूम के सामने बताया, तपश्चात श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक अपनी मोटर साईकिल से मेरे पास आया और वहॉ पर चौकन्ना होकर चारों तरफ नजर घुमाकर देखा और मुझे अपने साथ हरसौरा रोड पर स्थित गुर्जर छात्रावास के पास लेकर गया। जिससे मैंने हमारे पिताजी के नाम की खातेदारी जमीन को बैंक से रहनफक करने, हमारा विरासत का इन्तकाल खुलवाने एवं मेरे बहिनों से मेरे पक्ष में हक त्याग करवाने के लिये वार्ता की तो श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया ने मेरे उक्त तीनों काम करने की एवज में मेरे से 12 हजार रू0 रिश्वत की मांग की तथा मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करवाने पर वह मेरे से 11 हजार रू0 रिश्वत के लेने हेतु सहमत हो गया। मेरी, श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक से हुई सभी वार्तालाप को मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। इसके बाद मैं समय करीब 50 मीनट बाद श्री महेश कुमार कानि0 के पास आकर डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को उक्त सभी बाते बताई थी तथा यह भी बताया था कि मैं हरसौरा चौक पर होण्डा शोरूम से आगे गुर्जर छात्रावास के पास जिस व्यक्ति के साथ खडा होकर बात कर रहा था, वही व्यक्ति श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर है। इसके बाद मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को बताया कि उसके पास संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नही है और उसको बानसूर/अपने गॉव ही रूककर रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है। इसलिये मैं अलवर नही चल सकता तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि 11 हजार रू0 की व्यवस्था होने पर दिनांक 10.10.2022 सोमवार को सुबह करीब 10 बजे तक ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जायेगा और इसके बाद मैं वही पर रूक गया। आज मैं अपने साथ संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 11,000 रू0 लेकर आया हूँ तथा साथ ही यह भी बताया कि संदिग्ध आरोपी बाबरिया/तहसील कार्यालय में कुछ समय ही रूकता है और वह दोपहर बाद अपने गॉव चला जाता है। इसलिए रिश्वत के रू0 उसको अभी जल्दी ही देने है। परिवादी को कार्यालय में बैठाया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु नगर विकास न्यास अलवर से दो राज्य कर्मचारी बतौर स्वतंत्र गवाह तलब करने पर वहाँ से समय 10.00 ए.एम. पर श्री प्रीतम लाल, कनिष्ठ सहायक एवं श्री गोपाल सैन, कनिष्ठ सहायक, नगर विकास न्यास, अलवर, कार्यालय में उपस्थित आये। समय 10.05 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनो एवं कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री महेन्द्र कुमार का आपसी परिचय करवाया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री महेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 30.09.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर उनसे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की।

तत्पश्चात समय 10.15 ए.एम. पर दोनो गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति मे परिवादी श्री महेन्द्र कुमार तथा संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर के मध्य दिनांक 07.10.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर उसे चालू कर दोनों गवाहान को रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं में रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताओं के मुख्य अंश चलाकर सुनाये गये, जिसमें संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर द्वारा परिवादी से 12 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना एवं 11 हजार रू0 रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होना पाया गया। चूंकि परिवादी ने बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया/तहसील कार्यालय में कुछ समय ही रूकता है और वह दोपहर बाद जल्दी ही अपने गॉव चला जाता है। इसलिए रिश्वत के रू0 उसको आज दोपहर तक देने है। परिवादी के बतायेनुसार संदिग्ध आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही शीघ्र की जानी है तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय की उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार करने में अधिक समय लगने की संभावनाओं को मध्यनजर रखते हुए रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। उक्त की ट्रेप कार्यवाही के दौरान बाद में ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार की जावेगी।

समय 11.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर,

जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने अपने पास से 500–500 रूपये के 22 नोट कुल 11,000/–रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, को पेश किये। जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित करवाये गये। तत्पश्चात श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 11,000/– रूपये के नोटों को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री महेन्द्र कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री प्रीतम लाल से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 11,000/– रूपये को श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से परिवादी श्री महेन्द्र कुमार की पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व से परिवादी एवं गवाहान को समझाया गया। रासायनिक प्रतिक्रिया के उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 07.10.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 11.50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री प्रीतम लाल, कनिष्ठ सहायक, श्री गोपाल सैन, कनिष्ठ सहायक मय ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री भौरेलाल हैड कानि0 33, नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 एवं श्री रामसिंह कानि0 549 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर दो प्राईवेट वाहनों में बैठाकर तथा श्री हरीश चन्द कानि0 503 को स्वयं की प्राईवेट मोटर साईकिल से एवं परिवादी श्री महेन्द्र कुमार एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की मोटर साईकिल से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब बानसूर, जिला अलवर के लिये रवाना हुआ तथा साथ ही श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही के सुपरविजन हेतु पृथक से रवाना हुऐ तथा श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय में ही छोडा गया।

मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के ब्यूरो कार्यालय से रवानाशुदा समय 1.25 पी.एम. पर कस्बा बानसूर स्थित अनाज मण्डी के पास पहुंचा, जहॉ पर चारों वाहनों को साईड में खडा करवाकर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक के मिलने के स्थान के बारे में पूछने के लिये कहा, तो परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने समय 01.30 पी0एम0 पर अपने मोबाईल नं0 7727985727 से आरोपी श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया के मोबाईल नं0 9314495557 पर कॉल कर अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर आरोपी से वार्ता किया तो आरोपी श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक लाखा का नागल में अतिक्रमण हटाने के लिये जाना बताया तथा परिवादी को भूतपुरी (ईशरा का बास) के रास्ते से आने के लिये तथा भूतपुरी पहुंचकर कॉल करने के लिये कहा गया। परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी के पास मौजूद डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात समय 01.45 पी0एम0 मय टेपपार्टी सदस्यों के बानसूर से रवाना होकर समय 02.30 पी0एम0 पर भूतपुरी (ईशरा का बास) पहुंचा, जहॉ पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार से समय 02.31 पी0एम0 पर परिवादी के मोबाईल नं0 7727985727 से आरोपी श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया के मोबाईल नं0 9314495557 पर काल करवाकर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर आरोपी भू–अभिलेख निरीक्षक से वार्ता करवाई गई तो आरोपी भू–अभिलेख निरीक्षक ने परिवादी को थोडी देर में वापस कॉल कर बताने के लिये कहा तत्पश्चात समय 02.41 पी0एम0 पर आरोपी श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक के मोबाईल नं0 7727985727 से परिवादी श्री महेन्द्र कुमार के मोबाईल नं0 7727985727 पर आरोपी का कॉल आया, जिसे रिसीव करने से पूर्व परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया, जिस पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी भू–अभिलेख निरीक्षक से वार्ता करवाई तो श्री

अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक ने गॉव बासडा में होना बताया तथा परिवादी को बासडा में आने के लिये एवं बासडा पहुंचने से पहले ही गॉव के बाहर से फोन करने के लिये कहा। उक्त दोनों मोबाईल वार्ताओं को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेपपार्टी सदस्यों के रवाना होकर समय 02.55 पी0एम0 पर लाखा का नांगल से बासडा जाने वाले ग्रेवल रोड पर पहुंचा जहॉ पर समय 02.59 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 से परिवादी का टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक, बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर के पास उसके द्वारा बताये स्थान ग्राम बासडा जाने के लिये परिवादी महेन्द्र कुमार को उसकी मोटर साईकिल से रवाना किया गया, तथा उसके साथ श्री हरीश चन्द कानि0 503 व महेश कुमार कानि0 462 को भी मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के दोनों वाहनों से परिवादी व उक्त दोनों कानि0गण पर निगरानी रखते हुये उनके पीछे–पीछे अपनी पहचान छुपाते हुये रवाना हुआ। परिवादी अपनी मोटर साईकिल पर चलते–चलते अपने मोबाईल फोन को दाहिने कान से लगाकर वार्ता कर रहा था तथा कुछ दुर आगे चलकर ग्राम बासडा में ग्रेवल रोड के पास स्थित एक मकान के बाहर खडे हुये व्यक्ति के पास जाकर रूका और उक्त दोनों उक्त मकान के अन्दर चले गये। कुछ ही समय बाद परिवादी व उक्त व्यक्ति उक्त मकान से बाहर निकलकर अपनी–अपनी मोटर साईकिलों से रवाना होकर ग्रेवल रोड से लाखा का नांगल की तरफ वापस आये और बासडा गॉव में उक्त ग्रेवल रोड के पश्चित की तरफ खेतों में कच्चे रास्ते से एक खेत में बने मकान की तरफ रवाना हो गये। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक भी मय हमराहियान के परिवादी व उक्त व्यक्ति पर निगरानी रखता हुआ उनके पीछे–पीछे रवाना हो गया। परिवादी व उक्त व्यक्ति खेत में बने एक पक्के मकान के पास पहुंच कर दोनों मोटर साईकिलों को खडी कर उक्त मकान पर चले गये और आपस में बाते करने लग गये। मन पुलिस निरीक्षक भी मय हमराहियान के उक्त पर निगरानी रखते हुये मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय 03.23 पी.एम. पर ग्राम बासडा, तहसील बानसूर जिला अलवर मे खेत पर स्थित सुरेश गुर्जर के मकान से निकल कर कुछ दूरी पर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक एवं उक्त दोनो गवाहान ने देखा। परिवादी का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास पहुॅचा। जहॉ पर परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त करके बंद कर अपने कब्जे लिया। तत्पश्चात परिवादी ने एक मकान की ओर ईशारा करके बताया कि इस मकान पर श्री अशोक कुमार गिरदावर ने अपनी मांग अनुसार मेरे से अभी अभी 11,000 रूपये की रिश्वत अपने रिश्तेदार को दिलवाकर उससे नोटो को गिनवाकर अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब मे रखकर प्राप्त की है और अभी वह वही पर बैठा हुआ है। इस पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को अपने साथ लेकर उक्त मकान पर गये। जहां पर मकान के बाहर बने चबुतरे पर एक मुढे पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर ईशारा करके बताया कि यही श्री अशोक कुमार गिरदावर जी है, जिन्होने अभी कुछ देर पहले मेरे से अपनी मांग अनुसार 11 हजार रूपये रिश्वत के लिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना, दोनो गवाहन एवं ब्यूरो स्टाफ का परिचय देकर उससे अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपनी नजरे झुका ली और कुछ नही बोला। इस पर उक्त व्यक्ति को तस्सली देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम–पता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जयराम जाति गुर्जर, उम्र 43 साल निवासी ग्राम पूतली, पुलिस थाना–कोटपूतली, जिला जयपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत बाबरिया, तहसील बानसूर जिला अलवर होना बताया। इस पर उक्त अशोक कुमार को परिवादी से दिनांक 7.10.2022 को मांगी गई एवं अभी ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो श्री अशोक कुमार गिरदावर ने बताया कि दिनांक 7.10.2022 को यह महेन्द्र कुमार अपने रहनफक के नामान्तकरण एवं विरासत के नामान्तकरण खुलवाने के संबंध मे मेरे से आकर मिला था, तब मैने इसे कहा था कि बैंक से जो नो–डयूज मिला है, उसका मिलान रिकॉर्ड से नही हो रहा है, उसे ठीक करवाने के लिये कहा था। इस पर इसने मुझे पैसे देने की बात कही थी तब मैने इसे कहा था की तु ग्यारह हजार रूपये दे देना तेरा सारा काम कर दूंगा। उसके बाद आज दिनांक 10.10.2022 को अभी कुछ देर पहले यह मेरे पास बासडा गॉव मे आया था, तब मै इसे अपने साथ लेकर उक्त मकान जो मेरे मिलने वाले काश्तकार का है, जिसके यहां मौत हो जाने से उसके बैठने के लिये आया था, तो मै इसे अपने साथ लेकर यहां पर आया था। यहां इसने मेरे से पैसे देने को कहा तो मै इसे उक्त कमरे मे लेकर गया तब वहां पर सुरेश (नेता) भी आ गया। यह मुझे 11 हजार रूपये निकाल कर देने लगा तो मैने इससे उन रूपयो को श्री सुरेश को दिलवाकर उससे गिनवाये तो उसने नोटो को गिनकर 11 हजार रूपये होना बताया था। उसके बाद इसने मेरे से अपने काम के लिये दूबारा से आकर मिलने को कहा तो मैने इसे दूबारा मिलने से मना कर दिया था। उसके बाद यह मेरे पास से चला गया था। इसके रहनमुक्त का नामान्तकरण पटवारी हल्का बबेडी द्वारा भरकर ऑन लाईन मुझे फॉरवर्ड किया हुआ है, जो मेरे पास जांच हेतु पैण्डिंग है। इस पर परिवादी से आरोपी के उक्त कथनों के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि मै अभी कुछ देर

पहले इसके बुलाये अनुसार ग्राम बासडा मे आया तो यह मुझे रोड पर स्थित एक मकान पर मिला वहां से यह मुझे अपने साथ लेकर इसके मिलने वाले के इस मकान पर आया। जहां पर यह मुझे मकान मे बने एक कमरा जिसका दरवाजा मकान के बाहर चबुतरे पर खुलता है, की ओर ईशारा करके बताया कि इस कमरे मे लेकर गया। जहां पर एक लडका हमारे पास आया, तब इसने ईशारे से मुझे अपने द्वारा तय किये हुये 11 हजार रूपये देने को कहा। जिस पर मैने अपने पास रखे हुए पाऊडर लगे 500–500 रूपये के 22 नोट कुल 11 हजार रूपये निकाल कर दिया तो पहले इसने मेरे से रूपयो को एक लडके को दिलवाकर उससे नोटो को गिनवाया तब उसने नोटो को गिनकर 11 हजार रूपये होना बताया। तब मैने इससे कहा कि मेरे तीनो काम रहनफक का नामान्तकरण, विरासत का नामान्तकरण एवं मेरी बहनो से मेरे पक्ष मे हकत्याग करवाने के काम के लिये कहा तो इसने कहा कि तेरे सारे काम करवा दूंगा। तब मैने इससे दूबारा बानसूर आकर मिलने के लिये पूछा तो इसने कहा कि कोई जरूरत नही है। इसी दौरान उस लडके ने इनको मेरे से लिये हुये 11 हजार रूपये इनको दिये तो इन्होने रूपयों को अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखते हुये मेरे साथ ही उक्त कमरे से बाहर आये। मै अपनी मोटर साईकिल को स्टार्ट करके आपको ईशारा करने आ रहा था तब यह उस लडके के साथ उक्त मकान के साईड मे जाते हुए मुझे दिखाई दिये थे। इस पर उक्त अशोक कुमार से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो वह कुछ नही बोला। इस पर गवाह श्री प्रीतम लाल से उक्त आरोपी अशोक कुमार की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई तो उसमे कोई रूपये नही मिले। इस पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ने बताया कि साहब मेरे उक्त घर से रवाना होते वक्त यह एक लडका जिससे इसने रूपयों को गिनवाया था, उसे अपने साथ लेकर उक्त मकान के साईड मे जाता हुआ मुझे दिखाई दिया था। इस पर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार से उस लडके के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि अभी वह लडका यहां पर नही है। उक्त अशोक कुमार से पूछताछ की गई तब आरोपी श्री अशोक कुमार ने बताया कि यह पैसे देने की जल्दी कर रहा था जिसके कारण मुझे इस पर शंक हो जान से मैने इससे प्राप्त किये गये ग्यारह हजार रूपयों को अपनी पेन्ट की जेब से निकाल कर उक्त मकान के पीछे बने ऑपन बाथरूम मे रखे हुए एक मटके के नीचे रखे है, जो अभी वही पर रखे हुए है। इस पर उक्त आरोपी श्री अशोंक कुमार से श्री सुरेश कुमार के बारे मे पूछा गया तो उसने बताया कि वह कहां गया मुझे जानकारी नही है। इस पर उक्त आरोपी अशोक कुमार के दाहिने हाथ को कलाई के ऊपर से श्री हरिश कुमार कानि. से एवं बांये हाथ को कलाई के ऊपर से श्री महेश कुमार कानि. से पकडवाकर यथावत स्थिति मे दोनो गवाहान के हमराह लेकर उक्त मकान के पीछे लेकर गये तो वहां पर बने ऑपन बाथरूम मे रखे हुये एक मटके की ओर ईशारा करके बताया कि इस मटके के नीचे रूपये रखे हुये है। इस पर उक्त मटके को गवाह श्री प्रीतम लाल से उठवाया गया तो उसके नीचे 500 रूपये के नोट मे सिमटे हुये कुछ रूपये दिखाई दिये। जिनको गवाह श्री प्रीतम लाल से उठवाकर गिनवाया तो उसने नोटो को गिनकर 500–500 रूपये के 22 नोट कुल ग्यारह हजार रूपये होना बताया। पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नमबरो से मिलान करवाया तो नोटो के नम्बरो का मिलान होना बताया। इस पर उक्त नोटो को गवाह श्री प्रीतम लाल के पास ही सुरक्षित रखवाया। चूँकि घटना स्थल निज निवास है तथा वहां पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने योग्य सुरक्षित स्थान उपलब्ध नही होने के कारण आरोपी श्री अशोक कुमार भू–अभिलेख निरीक्षक को यथावत स्थिति मे उसके दोनो हाथ पकडवाये हुए ही हमराह लेकर गये वाहन मे बैठाकर उसमे गवाह श्री प्रीतमलाल को बैठाकर तथा हमराह लेकर गये दूसरे वाहन मे ब्यूरो के अन्य स्टाफ को दूसरे वाहन मे बैठाकर तथा श्री रामसिंह को आरोपी की मोटर साईकिल से तथा परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से समय 3.45 पी.एम. पर ग्राम बासडा से हमराह लेकर रवाना होकर समय 4.30 पी.एम. पर पुलिस थाना बानसूर हाजिर आया। सभी हमराहियान को वाहनो से उतारकर पुलिस थाना बानसूर के अन्दर बने थानाधिकारी के कक्ष के अन्दर बैठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई।

मन् पुलिस निरीक्षक ने पुलिस थाना बानसूर मे रखे हुये पानी के कैम्पर से एक बोतल में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ काँच के गिलास निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1, R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री अशोक कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1, L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक कुमार की निशादेही पर मौके से बरामद हुई रिश्वती राशि ग्यारह हजार रूपये जो गवाह प्रीतम लाल से उठवाकर उसके पास रखवाई गई थी, को गिनकर एवं उक्त दोनो गवाहान से उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का पूर्व की तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना बताया। बरामदशुदा रिश्वती राशि गवाह श्री प्रीतम लाल द्वारा पेश किये गये नोटो का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा रिश्वती राशि के नम्बरी 11,000 रूपये के नोटो को एक कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटो के लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक कुमार के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट बरंग क्रीम को सःसम्मान उतरवाकर उसे मंगवाया गया लोवर पहनाया गया। उतरवाई गई पेन्ट की तलाशी गवाह श्री गोपाल सैन से लिवाई गई तो उसकी पीछे की जेब मे एक पर्स मिला जिसमे उक्त आरोपी अशोंक कुमार गुर्जर के नाम से तहसीलदार बानसूर द्वारा जारी परिचय पत्र एवं 1170 रूपये मिले। उक्त राशि के बारे मे पूछने पर आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर ने उक्त 1170 रूपये की राशि अपने स्वंय के खर्चे–पानी के लिये अपने घर से लेकर आने हेतु बताया। आरोपी द्वारा उक्त राशि के बारे मे दिया गया स्पष्टीकरण मान्य योग्य होने से उक्त राशि 1170 रूपये एवं इसका पर्स आइन्दा इसके परिवारजनो या स्टाफ के सदस्य को उपस्थित आने पर वापस लौटाने हेतु ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। पर्स मे मिले आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर के मूल परिचय पत्र को वजह सबूत कब्जे लिया गया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स से एक अन्य साफ काँच का गिलास निकालकर उसे साफ पानी से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास में साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी अशोक कुमार के शरीर से उतरवाई गई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब को उल्टवाया गया तो उक्त जेब अन्दर से ऊपर की साईड मे फटी हुई है, को उक्त घोल के गिलास मे डूबोकर उसका धोवन करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिससे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P-1, P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त पेन्ट की जेब को सुखाकर उस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर उक्त थैली को सील मोहर कर थैली पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री अशोक कुमार से परिवादी के कार्य के बारे मे पूछा गया तो उसने बताया कि इसके नामान्तकरण से संबंधित जो कार्य मेरे पास पैण्डिंग है, वह ऑन लाईन है, मैन्यूवल मेरे पास नही है। परिवादी एवं आरोपी श्री अशोक कुमार को अलग–अलग एवं एक साथ करके आपसी कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने कोई आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया नही होने बाबत बताया। साथ ही आरोपी अशोक कुमार से पूछा गया कि परिवादी श्री महेन्द्र कुमार या उसके पिताजी पर कोई राजस्व वसूली की राशि बकाया तो नही है। इस पर आरोपी श्री अशोंक कुमार ने बताया कि उक्त महेन्द्र कुमार या उसके पिताजी से मुझे कोई राजकीय राशि की वसूली नही करना है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 10.10.2022 को समय 09.15 पी0एम0 पर आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जयराम जाति गुर्जर, उम्र 43 साल निवासी ग्राम पूतली, पुलिस थाना–कोटपूतली, जिला जयपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त– बाबरिया, तहसील बानसूर जिला अलवर को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। बाद मौके की कार्यवाही समय 10.00 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, मय परिवादी, एसीबी जाब्ता मय ट्रैप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप कार्यवाही के दौरान जब्त/ सील्ड शुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि के मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक के दो प्राईवेट वाहन व एक प्राईवेट मोटर साईकिल के मौका पुलिस थाना बानसूर, जिला अलवर से रवाना होकर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक का डयूटी डाक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर की हवालात में बन्द करवाकर मय हमराहियान के दिनांक 11.10.2022 को समय 12.15 एएम0 पर एसीबी कार्यालय, अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया। ट्रेप बॉक्स एवं जब्तशुदा रिश्वती राशि/आर्टिकल्स को कार्यालय में रखवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही गवाहान एवं परिवादी की मौजूदगी में प्रारम्भ करते हुये रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 07.10.2022 की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं तीन सी.डी. तैयार की गई। जिन पर मार्क "ए–1", मार्क "ए–2" एवं मार्क "ए–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री महेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "ए–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.10.2022 को रिश्वत राशि लेन देन के वक्त की रिकॉर्ड वार्तालाप की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं तीन सी.डी. तैयार की गई। जिन पर तीनों सीडीयों पर

मार्क "बी–1", मार्क " बी–2" एवं मार्क " बी–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री महेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क " बी–1" व मार्क " बी–2" को पृथक – पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क " बी–1" व मार्क " बी–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क " बी–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 07.10.2022 को परिवादी व आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत मांग सत्यापन के के समय हुई रूबरू वार्ताऐं एवं फोल्डर नं. 02 में दिनांक 10.10.2022 को परिवादी व आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक के मध्य रिश्वत लेन–देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ताऐं एवं रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। बाद कार्यवाही उक्त ट्रेप कार्यवाही मे जब्तशुद्वा सील्ड आर्टीकल्स को सील्ड करने हेतु उपयोग ली गई ब्राशसील का नमूना फर्द पर अंकित किया जाकर उक्त ब्रशसील को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के तुडवाकर नष्ट की गई। दिनांक 11.10.2022 को समय 10.20 ए0एम0 पर तहसीलदार बानसूर के पत्रांक 864 दिनांक 11.10.2022 के संलग्न ग्राम बबेडी के प्रकियाधीन नामान्तकरणों की ऑन लाईन प्रति (प्रिन्ट), जिसमें परिवादी से सम्बन्धित नामान्तकरण संख्या 1414 रहनमुक्त दिनांक 03.10.2022 (24) का भी उल्लेख है, यूनियन बैक द्वारा परिवादी के पिता श्री लटूर पुत्र गणपत गुर्जर ने नाम से जारी ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं परिवादी के पिता श्री लटूर पुत्र गणपत की धारा 6(1) के अधीन घोषणा की सत्यापित प्रति श्री राकेश कुमार सामदिया, लीव रिजर्व पटवारी, तहसील बानसूर ने ब्यूरों कार्यालय में लाकर पेश किया। उक्त दस्तावेजों पर दोनों गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर संलग्न पत्रावली किया गया।

समय 10.30 ए0एम0 पर मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त/सिल्डशुदा समस्त आर्टिकल्स, जब्तशुदा रिश्वती राशि 11 हजार रू0 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया एवं घटना स्थल पर जाकर घटना स्थल का मौका निरीक्षण कर नक्शा मौका मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। बाद कार्यवाही मौके से मय हमराहियान के रवाना होकर परिवादी श्री महेन्द्र कुमार को कस्बा बानसूर में ही छोड कर समय 03.15 पी0एम0 पर ए0सी0बी0 चौकी अलवर पहुंच कर दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रूकसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त–बाबरिया, तहसील बानसूर जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री महेन्द्र कुमार से उसके पिताजी के स्वर्गवास के उपरान्त आन्ध्रा बैंक बहरोड हाल विलय यूनियन बैंक बहरोड से के.सी. सी. लोन जमा करवाने के बाद प्राप्त बैंक के नो–डयूज के आधार पर हल्का पटवारी बबेडी द्वारा राजस्व रिकार्ड मे रहनफक (रहनमुक्त) के किये गये इन्द्राज की जाँच कर उसको स्वीकार हेतु तहसीलदार बानसूर को अग्रेषित करने, तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा स्वीकार करने के उपरान्त परिवादी एवं उसकी बहनों के नाम से विरासत के नामान्तकरण का कार्य करवाने एवं तत्पश्चात परिवादी के बहनो से परिवादी के पक्ष मे हकत्याग करवाने के कार्य की एवज मे अपने स्वंय के लिये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 07.10.2022 को 11,000 रूपये की रिश्वत की माँग करना एवं आज दिनांक 10.10.2022 को परिवादी से अपने स्वंय के लिये 11,000 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करने पर ट्रेप कार्यवाही की गई एवं परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 11,000 रूपये उक्त आरोपी श्री अशोक कुमार, भू–अभिलेख निरीक्षक की निशादेही पर बरामद होने के जुर्म में आरोपी श्री अशोक कुमार गुर्जर, भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी **श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जयराम जाति गुर्जर, उम्र 43 साल निवासी ग्राम पूतली, पुलिस थाना–कोटपूतली, जिला जयपुर हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत्त– बाबरिया, तहसील बानसूर जिला अलवर** के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय

(प्रेमचन्द)

पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर (राज0)

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जयराम, भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत बाबरिया, तहसील बानसूर, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 399/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3474-78 दिनांक 11.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

11.10.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर